सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 05/19

वीरपाल कौर पत्नी जसपालसिंह पुत्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर हाल आबाद कोटकपूरा जिला फरीदकोट (पंजाब)

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
2. अमरजीतसिंह पुत्र श्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्री करणपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील प्रकरण संख्या 06/19

वीरपाल कौर पत्नी जसपालसिंह पुत्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर हाल आबाद कोटकपूरा जिला फरीदकोट (पंजाब)

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
2. अमरजीतसिंह पुत्र श्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्री करणपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उपस्थित

1. श्री तेजासिंह संधू, एडवोकेट , अपीलार्थी
2 श्री चरणदास कम्बोज़, एडवोकेट रेस्पोडेन्टस सं 1 व 2
3 राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3

।। निर्णय ।। दिनांकः 20–05–2022

उपर्युक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार एक समान हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में गुरचरणसिंह ने सहमति बैटवारानामा धारा 53(2) के अन्तर्गत दिनांक 5–9–12 को प्रस्तुत किया कि चक 20 एच पटवार हल्का 2 डब्ल्यू खाता रां0 34 गु0 नं0 3–16–52–57 की कुल 9.248 है0 कृषि भूमि में 1/2 आधा हिस्सा अर्थात् 4.624 है0 नहरी मय रास्ता में से 3.416 है0 भूमि है। पक्षकारान आपस में सहमत हैं, जिसपर पटवारी द्वारा दिनांक 6–8–12 को ही रिपोर्ट पेश की गई और तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–9–12 को रिपोर्ट मंगवा कर आपस में मिलकर बंटवारा करवा लिया। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है। अपीलांटा गुरचरणसिंह की पुत्री है, भूमि पैतृक है। अपीलांटा को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन भूमि जसवन्तसिंह पुत्र सोहनसिंह के खातेदारी भुमि थी। जसवन्तसिंह दिनांक 9–5–12 को स्वर्गवास हो गया था। जसवन्तसिंह के मरने के एक सप्ताह के अन्दर ही विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया और उक्त भूमि पर 381 नम्बर इंतकाल से लोन भी ले लिया। इसके बाद जमीन खुर्द–बुर्द करने की नियत से अपने लड़के के नाम से दिनांक 16–7–12 को एक दस्तबदारी गुरचरणसिंह व अन्य वारिस जो जसवन्तसिंह के थे, ने करवा ली। उसके बाद जसवन्तसिंह ने उक्त भूमि को हड़पने के लिए दिनांक 5–9–12 को उप पंजीयक से दस्तबदारी करवाई और दिनांक 5–9–12 को दस्तबदारी का इंतकाल करवा लिया और दिनांक 5–9–12 को ही जब भूमि अमरजीतसिंह व गुरचरणसिंह के नाम से आधी–2 हो गई तो उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा करवाने का आवेदन पत्र दिनांक 5–9–12 पेश कर दिया तथा दिनांक 6–9–12 अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा कर दिया। एक ही दिन के अन्दर उपहार पत्र करवाया और ग्राम पंचायत से इंतकाल चढवा लिया। गुरचरणसिंह को अपने पिता से विरासत में इंतकाल सं0 381 से भूमि प्राप्त हुई है। भूमि जद्दी जायदाद साबित है। जद्दी जायदाद में अपीलांटा का जन्म से अधिकार है तथा 1/3 हिस्से की जन्म से ही अधिकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर कार्यवाही की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 6–9–12 एवं इंतकाल 5–2–13 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपीलें प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया गया। अपीलांटा के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गई।

अपीलांटा के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6–9–12 को रिपोर्ट मंगवाकर आपस में मिलकर बंटवारे का आदेश पारत कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है। अपीलांटा रेस्पोडेन्ट सं0 1 गुरचरणसिंह की पुत्री है। अपीलाधीन भूमि पैतृक है जिसमें अपीलांटा का जन्म से हक एवं अधिकार है। अपीलाधीन आदेश बिना सुने एकपक्षीय पारित किया गया है। वादग्रस्त सम्पति जसवन्तसिंह पुत्र सोहनसिंह की खातेदारी थी। जसवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 9–5–12 को हुआ था। देहान्त के एक सप्ताह के बाद ही विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया और उक्त भूमि पर 381 नम्बर से इन्तकाल भी ले लिया। जमीन को खुर्द बुर्द करने की नियत से अपने लड़के के नाम से दिनांक 16–7–12 को एक दस्तबदारी गुरचरणसिंह व अन्य वारिस जो जसवन्तसिंह के थे, ने करवा लीं। दिनांक 5–09–12 को ही दस्तबदारी का इंतकाल दर्ज करवा लिया। जब रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम से भूमि आधी आधी हो गई तो उसी दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 6–9–12 को बंटवारा करवा लिया। एक ही दिन के अन्दर उपहार पत्र करवा कर इंतकाल ग्राम पंचायत से दिनांक 5–9–12 को तस्दीक करवा लिया। गुरचरणसिंह की पुत्री होने के कारण 1/3 हिस्सा का हक जन्म से ही बनता है। अधीनसथ न्यायालय का आदेश अवैधानिक एवं बिना क्षेत्राधिकार का है। अपने तर्को के समर्थन में 1992 आर आर डी पेज 117, 1998 आर आर डी पेज 319 के न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देकर निवेदन किया है कि अगर मैरिट पर केस बनता है तो उसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। यदि अपीलांटा का पैतृक भूमि में कोई हक बनता है तो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर इस तथ्य की जॉच की जा सकती है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 गुरचरणसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 5–9–12 को धारा 53(2) के अन्तर्गत आपसी सहमति के बंटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो दिनांक 6–9–12 को प्राप्त होने पर उसी रोज बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा आदेशिका दिनांक 6–9–12 में वर्णित किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

है कि पक्षकारान आपस में बंटवारा से सहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सहमति पत्र पारिवारिक समझौता काश्तकारी अधिनियम 53(2) के अन्तर्गत जो प्रस्तुत किया गया, उसपर रेस्पोडेन्ट सं0 1व 2 के हस्ताक्षर हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की पत्नी सरजीतकौर, रेस्पोडेन्ट सं0 1 गुरचरणसिंह, रेस्पोडेन्ट सं0 1 गुरचरणसिंह के भाई परमजीतसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जबकि अपीलांटा जो गुरचरणसिंह रेस्पो0 सं0 1 की पुत्री है, जिसमें अपीलांटा का पैतृक भूमि में 1/3 हिस्सा है, की सहमति प्राप्त नहीं की गई है और न ही उसके हिस्से की भूमि की दस्तबदारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने पक्ष में करवाई है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अपने पिता से विरासत में इंतकाल सं0 381 से भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन सहमति का बंटवारानामा दिनांक 6–9–12 को पारित करने में विधिक त्रुटि की गई प्रतीत होती है और उसके आधार पर पारित अपीलाधीन इंतकाल भी दोषपूर्ण हो जाता है। अपीलांटा का आरोप है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एक दिन में बिना विधिवत् सुनवाई किए पूर्ण की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसलिए प्रकरण को विधिवत् सुनवाई एवं पैतृक भूमि में अपीलांटा का उसमें 1/3 हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अपील अपीलांटा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–9–12 एवं 5–2–13 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने तथा उसमें अपीलांटा का 1/3 हिस्सा होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से गुणदोष पर निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 6–6–22 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 20–5–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner